86

संख्या– — /xxxii/2015–01(दो)(08)/2011

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः– उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महाप्रबन्धक, (इंजि0), जोनल हेड, उत्तराखण्ड, नेशनल बिलिडिंग कारर्पोशन लिमिटेड के पत्र संख्या–NBCC/UTTARAKHAND/F-74/2015,1362 दिनांक 18.03.2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विनियोग की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या–328/xxxii(1) /2015–01(दो)(08)/2015, दिनांक 31 मार्च 2015 एवं अलोटमेंट आई0 डी0 R1503070896 के कम में उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 4206.00 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत **औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2423.00 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार ₹ 1493.00 लाख मात्र अर्थात कुल धनराशि ₹ 3916.00 लाख (₹ उन्तालीस करोड़, सोलह लाख मात्र)** की धनराशि के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष अलोटमेंट आई0 डी0 H 1503074954 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में सें **प्रथम किश्त** स्वरूप धनराशि **₹ 700.00 लाख (₹ सात करोड़ मात्र)** को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. अपर महाप्रबन्धक, (इंजि0), जोनल हेड, उत्तराखण्ड, नेशनल बिलिडिंग कारर्पोशन लिमिटेड विभाग प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 700.00 लाख **(₹ सात करोड़ मात्र)** का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें–

(1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(6) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें।

(7) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर ली जाये।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–2047/XXXIV–219(2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxxii(1)/2008 दि0 15.12.2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा डी0एस0 आर0 के नियमो का अक्षरशः पालन करेगें तथा सुनिश्चित करेगे की त्रुटिवश कोई फाइनेशनल डुप्लीकेसी हुई हो तो उसका तत्काल निराकरण करेगे।

(13) निर्माण कार्य 24 माह अवश्यमेव पूर्ण कर लिया जाय, यदि किसी विभागीय कारणवश् कार्य में विलम्ब होता है, तो नियमानुसार Escalation देय होगा।

3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि ₹ 700.00 लाख (**₹ सात करोड़** मात्र) को अपर महाप्रबन्धक, (इंजि0), जोनल हेड, उत्तराखण्ड, नेशनल बिलिडिंग कारर्पोशन लिमिटेड के भारतीय स्टेट बैंक, IOC ब्रान्च, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 के **चालू खाता संख्या–10113005190, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या–SBIN0006564** में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पैन न0–AAACN3053B/ टैन न0–DELN02125E तथा टिन न0– 05000927054 है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –02 शहरी आवास–800–अन्य भवन–14–उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन का निर्माण –24–वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–235 **P** / XXVII(5) / 2014–15, दिनांक मार्च 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0 संख्या– 412 / **xxxii**(1) / 2015–01(दो)(08) / 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0राज्य सम्पत्ति मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6– अपर महाप्रबन्धक, (इंजि0), जोनल हेड, उत्तराखण्ड, नेशनल बिलिडिंग कारर्पोशन लिमिटेड देहरादून।
7– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन. आई.सी. में अपलोड करायें।
8– वित्त अनुभाग–5 / नियोजन विभाग / बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव